

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**खंडपीठ लखनऊ****रिट (ए) संख्या 2861/2026**

ओमेन्द्र सिंह यादव एवं 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, उद्यान, उ.प्र., लखनऊ एवं 2 अन्य

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : श्री मो. अतीक खान

विपक्षी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 7**माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मो. अतीक खान एवं विपक्षीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. प्रस्तुत याचिका आदेश दिनांक 25.02.2026 को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है, जिसके द्वारा चतुर्थ श्रेणी पदों का न्यूनतम वेतनमान अनुदत्त किए जाने हेतु याचिकाकर्ता का प्रत्यावेदन नामंजूर कर दिया गया था।

3. यह निवेदन किया गया है कि पूर्व में भी याची ने रिट (ए) संख्या 11108/2025 योजित की थी, जिसे आदेश दिनांक 19.09.2025 के माध्यम से संबंधित प्राधिकारियों को याची के प्रकरण पर विचार करने का समादेश देते हुए निस्तारित किया गया था। उसी के अनुपालन में आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता विभाग में वर्ष 2005 से 2014 तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में नियोजित किए गए हैं और बिना किसी परिवाद के निरंतर उसी रूप में कार्य कर रहे हैं, तथा विभाग के नियमित एवं अधिष्ठायी रूप से नियुक्त कर्मचारियों के समान ही कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभा शंकर दुबे बनाम प्रभागीय वनाधिकारी एवं अन्य, (2019) 12 एससीसी 297 के वाद में प्रतिपादित निर्णय की उपेक्षा करते हुए उनके दावे को नामंजूर कर दिया गया है।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को प्रस्तुत वाद में अनुदेश उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

6. चूंकि याचिकाकर्ता के दावे को नामंजूर करने के विनिर्दिष्ट कारण स्वयं आक्षेपित आदेश से प्रकट होते हैं, अतः प्रति-शपथपत्र दाखिल करने की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान की जाती है और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मोहिंदर सिंह गिल एवं अन्य बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नई दिल्ली एवं अन्य [एआईआर 1978 एससी 851] के वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्णय के निबंधनों के अनुसार याचिका का न्यायनिर्णयन ग्रहण स्तर पर ही किया जाता है।

7. विद्वान स्थायी अधिवक्ता इस तथ्य का प्रतिवाद नहीं करते हैं कि याचिकाकर्ता को विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में नियोजित किया गया है। इस तथ्य का कोई प्रत्याख्यान नहीं किया गया है कि वे अभी भी उसी हैसियत से विभाग में कार्यरत हैं। इस तथ्य का भी कोई प्रत्याख्यान नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता उन्हीं समान कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं जिनका निर्वहन विभाग में नियमित रूप से चयनित एवं अधिष्ठायी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है।

8. इस प्रकार आक्षेपित आदेश के परिशीलन से यह सुस्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का न्यूनतम वेतनमान प्रदान किए जाने का आवेदन मुख्यतया इस आधार पर नामंजूर किया गया है कि वे विभाग में दैनिक वेतनभोगी श्रमिक के रूप में नियोजित हैं। तथापि, पूर्वोक्त पहलू पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सभा शंकर दुबे** (उपरोक्त) के वाद में निम्नलिखित रीति से पूर्व में ही विचार किया जा चुका है:-

10. समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर वेतनमानों की समता के विषय पर संपूर्ण विधि के व्यापक विचारण पर, इस न्यायालय ने जगजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2017) 1 एससीसी 148: (2017) 1 एससीसी (एलएंडएस) 1] में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है: (एससीसी पृ. 223, पैरा 58)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

58. हमारे सुविचारित मत में, श्रम के प्रतिफलों से वंचित करने के निमित्त कृत्रिम मापदंड अवधारित करना भ्रामक है। समान कार्य हेतु नियोजित एक कर्मचारी को उसी समान कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने वाले किसी अन्य कर्मचारी से कम संदाय नहीं किया जा सकता। एक कल्याणकारी राज्य में तो कदापि नहीं। ऐसा कृत्य अपमानजनक होने के अतिरिक्त, मानव गरिमा की मूल आधारशिला पर ही आघात करता है। कोई भी व्यक्ति, जिसे कम मजदूरी पर कार्य करने हेतु विवश किया जाता है, वह स्वेच्छा से ऐसा नहीं करता है। वह ऐसा अपने परिवार को भोजन और आश्रय प्रदान करने के निमित्त, अपने आत्म-सम्मान और गरिमा की कीमत पर, अपने आत्म-मूल्य की कीमत पर, और अपनी सत्यनिष्ठा की कीमत पर करता है। क्योंकि वह जानता है कि यदि वह कम मजदूरी स्वीकार नहीं करता है, तो उसके आश्रितों को अत्यधिक कष्ट होगा। समान रूप से स्थित अन्य व्यक्तियों की तुलना में कम मजदूरी संदत्त करने का कोई भी कृत्य शोषक दासता का कृत्य गठित करता है, जो एक प्रभुत्वशाली स्थिति से उत्पन्न होता है। निस्संदेह, यह कृत्य दमनकारी, उत्पीड़क और प्रपीड़क है, क्योंकि यह अनैच्छिक अधीनता को विवश करता है।

11. इस न्यायालय द्वारा जगजीत सिंह [पंजाब राज्य बनाम जगजीत सिंह, (2017) 1 एससीसी 148: (2017) 1 एससीसी (एलएंडएस) 1] में जिस विवादक पर विचार किया गया था, वह यह है कि क्या अस्थायी कर्मचारी (दैनिक-वेतनभोगी कर्मचारी, तदर्थ नियुक्त व्यक्ति, आकस्मिक आधार पर नियुक्त कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और इसी प्रकार के अन्य) नियमित वेतनमानों के न्यूनतम के हकदार हैं, क्योंकि वे उन्हीं कर्तव्यों का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

निर्वहन कर रहे हैं जो स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियमित आधार पर कार्यरत व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। तिलक राज [हरियाणा राज्य बनाम तिलक राज, (2003) 6 एससीसी 123: 2003 एससीसी (एलएंडएस) 828] और सुरजीत सिंह [पंजाब राज्य बनाम सुरजीत सिंह, (2009) 9 एससीसी 514: (2009) 2 एससीसी (एलएंडएस) 696] में इस न्यायालय के निर्णयों सहित अनेक निर्णयों पर विचार करने के पश्चात, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अस्थायी कर्मचारी उस न्यूनतम वेतनमान पर मजदूरी आहरित करने के हकदार हैं जो उसी पद को धारण करने वाले नियमित कर्मचारियों पर लागू होता है।"

9. प्रस्तुत प्रकरण के वर्तमान तथ्यों एवं परिस्थितियों में पूर्वोक्त निर्णय की प्रयोज्यता पर, यह इस प्रकार सुस्पष्ट है कि याचिकाकर्ता जून 2005-2014 से निरंतर विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं। सभा शंकर दुबे (उपरोक्त) के वाद में, यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि सरकारी प्राधिकारी किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की प्रास्थिति का लाभ उठाते हुए उसे नियमित वेतनमान के लाभों से वंचित नहीं कर सकते हैं, जबकि उससे ऐसा कार्य लिया जा रहा हो जो विभाग के नियमित रूप से चयनित और अधिष्ठायी रूप से नियुक्त कर्मचारियों द्वारा निष्पादित कार्य के समतुल्य हो। पूर्वोक्त निर्णय किसी भी ऐसे अनुबंधन को उपदर्शित नहीं करता है कि ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान केवल दस वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ही अनुदत्त किया जा सकता है।

10. उपर्युक्त की गई विवेचना के दृष्टिगत, चूंकि याचिकाकर्ता जून 2005 से 2014 तक विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में नियोजित हैं और निर्विवाद रूप से विभाग के अधिष्ठायी रूप से नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान ही कार्यों और कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे हैं,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अतः दिनांक 25.02.2026 का आक्षेपित आदेश एतद्वारा उत्प्रेषण की प्रकृति की रिट जारी करके अभिखंडित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, परमादेश की प्रकृति की एक रिट जारी की जाती है जो विपक्षीगण को यह समादेश देती है कि वे याचिकाकर्ता को समय-समय पर यथा-संशोधित चतुर्थ श्रेणी पद के न्यूनतम वेतनमान का संदाय तत्काल सुनिश्चित करें।

11. परिणामस्वरूप, याचिका सफल होती है और अनुज्ञात की जाती है। पक्षकार अपना वाद-व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

17 मार्च, 2026

केवीजी/-